रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 21, 1989/आषाढ़ 30, 1911
No. 137] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 21, 1989/ASADHA 30, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 146–आई टी सी (पी एन)/88–91

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1989

विषय : — अप्रैल, 1988—मार्च, 1991 के लिए आयात-निर्यात नीति।

फा.सं 1/3/85/आर ई पी–ई पी सी.––वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना स 1–आई टी सी (पी एन)/88–91, दिनांक 30 मार्च, 1966 के अधीन प्रकाशित अप्रैल, 1988––मार्च, 1991 के लिए यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. उक्त नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे उल्लिखित उचित स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम सं.	आयात-निर्यात नीति, 1989–91 (खण्ड-1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	68 (67)	अध्याय-19 शुल्क मुक्त स्कीम पैरा 225	(1) मौजूदा पैरे को 225 (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा : (2) इस पुनर्संख्यांकित पैरे के उपरान्त निम्नोक्त को जोड़ा जाएगा : — "(2) एक पंजीकृत विनिर्माता निर्यातक जिसका पिछली तीन लाइसेंसिंग अवधि के दौरान न्यूनतम वार्षिक घरेलू व्यापार का औसत 15 करोड़ तक है परन्तु उसका कोई महत्वपूर्ण निर्यात निष्पादन नहीं रहा है, वह भी उपर्युक्त उपबन्ध के अन्तर्गत लाइसेंस जारी किए जाने के लिए पात्र होंगे। ऐसे मामले में आयात की हकदारी वार्षिक औसतन घरेलू व्यवसाय के 10% तक सीमित होगी"।
2	68 (68)	अध्याय-19 शुल्क मुक्त स्कीम पैरा 226	इस पैरे के पहले वाक्य के उपरान्त निम्नोक्त को जोड़ा जाएगा : "जहां पर उपर्युक्त अनुसार ऐसा इन-पुटआउटपुट मानदण्ड नहीं है परन्तु क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा वैयक्तिक मामले में नियत किए गए इनपुट-आउट-पुट मानदंड के आधार पर पहले ही लाइसेंस जारी किया जा चुका है, तब क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी इन्हीं मानदण्डों पर आधारित उसी मद के लिए आवृत्ति के आधार पर 25 लाख रु. के लागत बीमा भाड़ा मूल्य तक के उसी आवेदक के पक्ष में बाद के लाइसेंसिंग जारी करने के सम्बन्ध में विचार कर सकता है बशर्ते कि क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिंग समिति या मुख्यालय अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा इन मानदण्डों को बदला या अन्य मानदण्डों द्वारा प्रतिस्थापित न किया गया हो या इस पुस्तक के परिशिष्ट 13-सी में जोड़ा न गया हो। यह उपर्युक्त पैरा 225 में निहित उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले लाइसेंसों पर भी लागू होगा।
3.	68 (68)	अध्याय-19 शुल्क मुक्त स्कीम पैरा 227	(1) इस पैरे के शुरू के वाक्य में "पैरा 220" शब्द और अंक के बीच अंक 219 (2) को जोड़ा जाएगा। (2) उप-पैरा 227 (3) के उपरान्त निम्नलिखित नया उप-पैरा जोड़ा जाएगा :— "(4) जहां आवेदन-पत्र 25 लाख रु. तक के मूल्य की मुक्त मदों के आयात के लिए अग्रिम सीमाशुल्क निकासी परमिट के सम्बन्ध में हो।"
4.	68	अध्याय-19 पैरा 228	(1) इस पैरे के अन्तर्गत श्रेणी (1) में अंक और शब्द, "(1) और (2)" को निम्नोक्त (1), (2) और (4)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। (2) इस पैरे के अन्तर्गत श्रेणी (2) में पैरा "219 (2)" के संदर्भ को हटा दिया जाएगा।

1	2	3	4
5.	68 (68)	अध्याय-19 शुल्क मुक्त स्कीम पैरा 228	इस पैरा के उपरान्त निम्नोक्त को जोड़ा जाएगा :— "228-क. आयात-निर्यात पास-बुक लाइसेंस पर मध्यस्थ उत्पादों की आपूर्ति करने हेतु मध्यस्थ अग्रिम लाइसेंस जारी करने सम्बन्धी आवेदन पत्र पर उपर्युक्त पैरा 227 (1), 227 (2) और 228 (1) में उल्लिखित ढंग से विचार किया जाएगा।'
6.	69	अध्याय-19 शुल्क मुक्त स्कीम पैरा 234	इस पैरे के अन्तिम वाक्य को निम्नोक्त द्वारा प्रति-प्रतिस्थापित किया जाएगा :— "तथापि अपवाद स्वरूप मामलों में अग्रिम लाइसेंसिंग समिति आधारों की असलीयत के बारे में सन्तुष्टि के उपरान्त उन मामलों में जहां लाइसेंस का लागत बीमा भाड़ा मूल्य एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं हैं जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य की उसी समानुपात में वृद्धि किए जाने पर बल दिए बिना लागत बीमा भाड़ा मूल्य में ऐसी वृद्धि किए जाने के लिए आवेदनों पर विचार कर सकती है। बशर्ते कि ऐसी वृद्धि के उपरान्त बढ़ा हुआ मूल्य नीति में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम न हो। क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिंग समिति के क्षेत्राधिकार से बाहर वृद्धि के लिए प्राप्त ऐसे आवेदनों पर विचार मुख्यालय में अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा किया जाएगा।"
7.	70 (69)	अध्याय-19 शुल्क मुक्त स्कीम पैरा 238	इस पैरे के अंतिम दो वाक्यों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :— "यह प्रावधान प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 365 में उल्लिखित प्रक्रिया के अन्तर्गत ऊपर के पैरा 220 (2) के अधीन आने वाली मध्यस्थ अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम के अन्तर्गत की गई आपूर्तियों के लिए भी लागू होंगे।"
8.	76 (75)	अध्याय-20 आयात-निर्यात पासबुक स्कीम पैरा 269-क	इस पैरे के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "269-ख. जहां आयात-निर्यात पासबुक लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन करने वाला आवेदक खुले सामान्य लाइसेंस की मद का आयात करने के लिए पात्र हो और इस स्कीम के तहत शुल्क छूट का दावा भी करता हो, वहां यह आयातक की इच्छा पर होगा कि वह उस मद का पहले से आयात कर ले और स्कीम के तहत बाद में जारी किए गए वैध असमाप्त लाइसेंस के मद्दे निकासी प्राप्त करने के लिए उस मद को सीमाशुल्क बांड में रखे। लेकिन, सीमाशुल्क बांड से मद की निकासी स्कीम के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के बाद प्रभावी होगी और इसके बिना शुल्क छूट का लाभ स्वीकार्य नहीं होगा। यदि किसी मामले में माल को पहले ही गोदाम में रख दिया गया हो तो आयात-निर्यात पास बुक लाइसेंस के मद्दे निकासी की सुविधा केवल तब प्रदान की जाएगी जबकि ऊपर पैरा 267 में विनिर्दिष्ट पत्तनों पर स्थित गोदामों से ऐसी निकासी के लिए आवेदन किया गया हो। आवेदक का घोषित समर्थक विनिर्माता भी खुले सामान्य लाइसेंस की मदों का वास्तविक उपयोक्ता के रूप में आयात करके इस सुविधा का लाभ उठा सकता है और बाद में उन मदों की निकासी आवेदक के नाम में स्कीम के तहत जारी किए गये वैध लाइसेंस के मद्दे करा सकता है बशर्ते कि समर्थन विनिर्माता के पास आवेदक द्वारा उसके

1	2	3	4
			नाम से जारी किया गया वैध प्राधिकार पत्र हो और समर्थक विनिर्माता का नाम आयात-निर्यात पास बुक में प्रविष्ट कर लिया हो। यदि किसी मामले में, आवेदक के पास परेषण पहुंचने की तारीख से पूर्व ही वैध लाइसेंस हो तो ऐसी मद की निकासी को शुल्क छूट लाभों सहित सीमाशुल्क द्वारा की जाएगी और निकासी से पूर्व, खुले सामान्य लाइसेंस की मद को सीमाशुल्क बांड में रखने के लिए जोर नहीं दिया जाएगा।"
9.	268-269 (291-292)	परिशिष्ट-14 ख वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की यथासंशोधित अधिसूचना संख्या 117/88-कस. दिनांक 30 मार्च, 1988 की प्रति।	7 जुलाई, 1989 को सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 206/89-कस. के जारी होने के परिणामस्वरूप स्पष्टीकरण से खण्ड (4) उपखण्ड (ख) के बाद निम्नलिखित उपखण्ड को जोड़ा जाएगा :— "(ग) आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के अधीन जारी की गई तत्समय प्रवृत्त खुली सामान्य अनुज्ञप्ति के अधीन किसी सीमाशुल्क पत्तन, विमान पत्तन या अंतर्देशीय केटनर डिपो से हो कर, जैसा कि खंड (ज) में विनिर्दिष्ट है, आयात किया गया माल जिसके लिए सीमाशुल्क नियंत्रण से निकासी के समय कोई विधि मान्य पासबुक (जिसमें शुल्क मुक्त अनुज्ञप्ति सम्मिलित है) आयातकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत की जाती है :— परन्तु जहां किसी खुली सामान्य अनुज्ञप्ति के अधीन आयातित माल को भाण्डागार में रखा गया है, वहां पास बुक के आधार पर निःशुल्क निकासी की सुविधा तभी अनुज्ञात की जाएगी, जब ऐसी निकासी को कांडला कलकत्ता, बम्बई, कोचीन, मद्रास, विशाखापत्तनम दिल्ली या बंगलौर स्थित किसी भांडागार से बोंछा की जाती है।"

3. वाणिज्य मंत्रालय की 30 मार्च, 1988 की सार्वजनिक सूचना संख्या 2-आईटीसी(पीएन)/88-91 के अन्तर्गत प्रकाशित यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, अप्रैल, 1988—मार्च, 1991 की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है।

4. प्रक्रिया पुस्तक में उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :—

क्रम सं.	प्रक्रिया पुस्तक 1988-91 की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	63 (64)	अध्याय-19 शुल्क मुक्त स्कीम उपपैरा 351(2)	वर्तमान उप पैरा 351(2) के बाद निम्नलिखित नया पैरा जोड़ा जाए :— "(3) ऊपर उप पैरा (1) और (2) में उल्लिखित प्रक्रियाएं आयात-निर्यात पास बुक लाइसेंसों के मद्दे आपूर्ति करने के लिए आयात नीति के पैरा 228, क. के अधीन जारी किए मध्यस्थ अग्रिम लाइसेंसों के लिए भी, आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी।"
2.	63 (65)	अध्याय-19 शुल्क मुक्त स्कीम पैरा 353(1)	(1) इस पैरे के प्रथम वाक्य में "या मध्यस्थ अग्रिम लाइसेंसिंग "स्कीम के अन्तर्गत मध्यस्थ विनिर्माता से आपूर्ति प्राप्त करने के लिए शब्द" हटा दिए जाएंगे। (2) इस पैरे में प्रथम वाक्य के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "मध्यस्थ अग्रिम लाइसेंसों के मामले में लाइसेंसधारी को पैरा 357(3) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक बांड/विधिक वचनबद्धता का निष्पादन करना होगा।"

1	2	3	4
3.	65 (67)	अध्याय-20 शुल्क मुक्त स्कीम पैरा 357(3)	(1) उप पैरा 357(3) (क) के दूसरे वाक्य में "जब और जैसे" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए :— "पूरी आपूर्ति के बाद।" (2) उप पैरा 357(3) (ख) में "उपर्युक्त उप पैरा (क)" के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाए :— "और इस पुस्तक के अध्याय-20 में पैरा 386(1)।"
4.	66 (68)	अध्याय-19 शुल्क मुक्त स्कीम पैरा 365	इस पैरा को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :— "365. मध्यस्थ अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत अन्तिम निर्यातकर्ता को मध्यस्थ विनिर्माता द्वारा की गई सप्लाई के मामले में सप्लायर मध्यस्थ विनिर्माता द्वारा की गई वास्तविक आपूर्ति के बारे में डी.ई.ई.सी. पुस्तक के भाग-घ में और अंतिम निर्यातकर्ता की आयात-निर्यात पास बुक के भाग ङ. (में, जैसा भी मामला हो, पृष्ठांकन करेगा/इसी तरह अंतिम निर्यातकर्ता, मध्यस्थ विनिर्माता द्वारा की गई सप्लाई को स्वीकार करने के बारे में मध्यस्थ विनिर्माता की डी.ई.ई.सी. पुस्तक के भाग-च' में पृष्ठांकित करेगा। मध्यस्थ विनिर्माता तथा अंतिम विनिर्माता निर्यातकर्ता, दोनों के मामले में, की गई प्रविष्टियों को, मूल डी.ई.ई.सी./आयात-निर्यातपास बुक के साथ प्रस्तुत किए गए बैंक प्रमाणित बीजक के आधार पर अध्यक्ष विनिर्माता के या अंतिम निर्यातकर्ता के लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा। बैंक प्रमाणित बीजक को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा। जबकि अंतिम निर्यातकर्ता की संगत डी.ई.ई.सी./आयात-निर्यात पास बुक पुस्तक संख्या तथा मध्यस्थ विनिर्माता की डी.ई.ई.सी. पुस्तक संख्या का उल्लेख करते हुए विधिवत अधिप्रमाणीकृत बैंक द्वारा प्रमाणित बीजक की एक प्रति संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अपने पास रख ली जाएगी और इसी प्रकार अधिप्रमाणीकृत अन्य प्रति को, निर्यात प्रोत्साहन, यदि कोई हो, का दावा करने के लिए मध्यस्थ विनिर्माता को लौटा दिया जाएगा। ये दस्तावेज ऐसी सप्लाई की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिएं। अगर ऐसी सप्लाई की तारीख को अंतिम निर्यातकर्ता या मध्यस्थ विनिर्माता को लाइसेंस प्राप्त नहीं होता तो लाइसेंस जारी होने की तारीख से 15 दिन दिन की अवधि के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
5.	70 (72)	अध्याय-20 आयात-निर्यात पासबुक योजना पैरा 386(1)	(1) इस पैरा के पहले वाक्य में "या मध्यस्थ अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत मध्यस्थ विनिर्माता से सप्लाई प्राप्त करने के लिए" शब्दों को हटा दिया जाए। (2) इस पैरा में, पहले वाक्य के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाए :—

1	2	3	4
			"आयात-निर्यात पासबुक लाइसेंसधारक द्वारा मध्यस्थ अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम के अन्तर्गत मध्यस्थ विनिर्माता से प्राप्त सप्लाई के मामले में, मध्यस्थ विनिर्माता से पूरी सप्लाई प्राप्त हो जाने के बाद लाइसेंसधारी इस योजना के अन्तर्गत सप्लाई को कवर करने के लिए विधिक वचनबद्धता का निष्पादन करेगा ।"

5. उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं।

6. कालम-2 में कोष्ठकों में दी संख्या 31 मार्च, 1989 तक यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति तथा प्रक्रिया पुस्तक की पृष्ठ संख्याएं हैं।

तेजेन्द्र, खन्ना, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 146-ITC(PN)/88-91

New Delhi, Dated the 21st July, 1989

Subject : Import & Export Policy for April 1988—March 1991.

F. No. 1/3/85/REP-EPC.—Attention is invited to the Import & Export Policy for April, 1988—March, 1991, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/88-91 dated the 30th March, 1988 as amended.

2. The following amendments shall be made in the policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Import and Export Policy, 1988-91 (Vol. I)	Reference	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	68 (67)	CHAPTER-XIX DUTY EXEMPTION Scheme Para 225	(i) The existing Para shall be renumbered as 225(1). (ii) The following shall be added after this renumbered Para :— "(2). A registered manufacturer-exporter having a minimum annual average domestic turn over of Rs. 15 crores during the preceding three licensing periods but having no or insignificant export performance will also be eligible for issue of a licence under the above provision. In such cases, the import entitlement will be limited to 10% of the annual average domestic turn over."

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	68 (68)	CHAPTER-XIX DUTY EXEMPTION SCHEME PARA 226	After the first sentence in this Para, the following shall be added "Where no such input-output norm as above exists but a licence has earlier been issued based on the inout-output norm fixed in an individual case by the Regional Advance Licensing Committee, then the Regional Licensing Authority may consider issue of subsequent licence on repeat basis for the same item based on these norms in favour of the same applicant upto a CIF value of Rs. 25 lakhs each provided these norms have not been reversed or substituted by other norms, either by the Regional Advance Licensing Committee or Hqrs. Advance Licensing Committee or added in Appendix 13-C to this Book. This will also include issue of licences under the provision contained in Para 225 above."
3.	68 (68)	CHAPTER-XIX DUTY EXEMPTION SCHEME PARA 227	(i) In the opening sentence of this Para, between the word and figure "Para 220", the figure 219(2) shall be inserted. (ii) After the Sub-Para 227(3), the following new Sub-para shall be added:— "(4). Where the application is for an Advance Customs Clearance Permit involving import of items free of cost upto a value of Rs. 25 lakhs."
4.	68 (68)	CHAPTER-XIX DUTY EXEMPTION SCHEME PARA 228	(i) In category (1) under this Para, the figures and word, "(1) and (2)" shall be substituted by the following "(1), (2) and (4).". (ii) In category (2) under this Para, the reference of Para "219(2)" shall be deleted.
5.	68(68)	CHAPTER-XIX DUTY EXEMPTION SCHEME PARA 228	After this para, the following shall be added:— "228-A. Application for issue of Intermediate Advance Licence for making supply of Intermediate products against an Import-Export Pass Book Licence will be considered in the manner laid down in Paras 227(1), 227(2) and 228(1) above."
6.	69 (69)	CHAPTER-XIX DUTY EXEMPTION SCHEME PARA 234	The last senence in this Para shall be substituted by the following: "However, in exceptional cases, the Regional Advance Licensing Committee may consider requests for such enhancement in C.I.F. value without insisting on increase in F.O.B. value in the same proportion, in cases where the C.I.F. value of the licence does not exceed Rupees One Crore after being satisfied about the genuineness of the grounds provided the value addition after such enhancement is not less than the minimum prescribed in the Policy. Requests for such enhancement beyond the jurisdiction of the Regional Advance Licensing Committees will be considered by the Headquarters Advance Licensing Committee."
7.	70 (69)	CHAPTER-XIX DUTY EXEMPTION SCHEME PARA 238	The last two sentences in this para shall be substituted by the following :— "These provisions will also apply to supplies made under the Intermediate Advance Licensing Scheme as covered by Para 220(2) above subject to the procedures laid down in Para 365 of the Handbook."

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	76 (75)	CHAPTER-XX IMPORT-EXPORT PASS BOOK SCHEME PARA 269-A.	The following shall be added after this Para :— "269-B. Where the applicant seeking issue of an Import-Export Pass Book Licence is eigible to import an OGL item and also claim duty exemption under this scheme, it will be open to him to import that item in advance and keep it in Customs bond for getting clearance against a valid unexpired licence issued subsequently under this scheme. Clearance of the item from the Customs bond can, however, be effected after obtaining the licence under the scheme and without which the benefit of duty exemption will not be admissible. In case the goods have already been warehoused, the facility of clearance against an Import-Export Pass Book licence will be permitted only when such clearance is sought from the werehouse at specified ports mentioned in Para 267 above. The declared supporting manufactuer of the applicant can also avail of this facility by effecting import of OGL items as an actual user and get the same cleared subsequently against a valid licence issued under this scheme in favour of the applicant, provided the supporting manufacturer holds a valid letter of authority issued by the applicant in his favour and the name of the supporting manufacturer is entered in the Import-Export Pass Book. In case the applicant is already in possession of a valid licence on the date of arrival of the consignment, then such items will be cleared by the Customs with Duty Exemption benefits without insisting on keeping the OGL goods in the Customs bond before clearance."
9.	268-269 (291-292)	APPENDIX 14-B Copy of Ministry of Finance, Dept. of Revenue, Notification No. 117/88-Cus. dated 30th March, 1988, as amended.	Consequent on issue of Customs Notification No. 206/89-Cus. dated the 7th July, 1989, in the explanation in Clause (iv), after Sub-clause (b), the following sub-clase shall be added : "(c) goods imported under an Open General Licence issued under the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), for the time being in force, through any of the Customs ports, airport or Inland Containers Depot as specified in Clause (h) for which at the time of clearance out of Custom's Control, a valid Pass Book (incorporating duty free licence) is produced by the importer : Provided that where the goods imported under an Open General Licence have been warehoused, the facility of duty free clearance against a Pass Book shall be permitted only when such clearance is sought from any of the warehouses located at Kandla, Calcutta, Bombay, Cochin, Madras, Vishakhapatnam, Delhi or Bangalore."

3. Attention is also invited to the Handbook of Procedures for April, 1988—March. 1991, published under the Ministry of Commerce Public Notices No. 2-ITC(PN) /88—91 dated the 30th March, 1988, as amended.

4. The following amendments shall be made in the Hand Book at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Handbook of Procedures, 1988-91	Reference	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	63 (64)	CHAPTER-XIX DUTY EXEMPTION SCHEME SUB-PARA 351(2)	After the existing sub-para 351(2), the following new sub-para shall be added : – "(3). The procedures as laid down in sub-paras (1) & (2) above will also apply mutatis-mutandis to the Intermediate Advance Licence issued under Para 228-A of the Import Policy for making supplies against Import-Export Pass Book Licences."

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	63 (65)	CHAPTER–XIX DUTY EXEMPTION SCHEME PARA 353(1)	(i) In the first sentence of this Para, the words, "or for obtaining supplies from the intermediate manufacturer under the Intermediate Advance Licensing Scheme", shall be deleted. (ii) In this Para, the following shall be added after the first sentence :— "In case of Intermediate Advance Licences, the licence holder shall be required to execute the necessary Bond/Legal Undertaking in accordance with the procedure laid down in Para 357 (3) below."
3.	65 (67)	CHAPTER–XIX DUTY EXEMPTION SCHEME PARA 357(3)	(i) In the 2nd sentence of sub-paras 357(3)(a), the words "as and when" shall be substituted by the following :— "after the entire supplies are." (ii) In sub-para 357(3) (b), after the words "sub-para (a) above", the following shall be added:— "and Para 386 (1) in Chapter-XX of this Book."
4.	66 (68)	CHAPTER–XIX DUTY EXEMPTION SCHEME PARA 365	This para shall be substituted by the following :— "365. In case of supplies made by an Intermediate manufacturer to an ultimate exporter under the Intermediate Advance Licensing Scheme, the suppleier will make an endorsement in Part-D of the DEEC book and Part E of the Import-Export Pass Book of the ultimate exporter, as the case may be, about the actual supplies made by the intermediate manufacturer. Similarly, the ultimate exporter will make suitable endoursement in Part-F of the DEEC book of the Intermediate manufacturer about the acceptance of supplies made by the intermediate manufacturer. The entries both in the case of intermediate manufacturer and ultimate exporter will further be authenticated by the licensing authority of either the intermediate manufactuer or the ultimate exporter based on the bank attested invoice produced along with the original DEEC/Import-Export Pass Book. The bank attested invoice will be produced in duplicate. While one copy of the Bank Attested invoice duly authoenticated, indicating the relevant DEEC/Import-Export Pass Book number of the ultimate exporter and also the DEEC Book number of the Intermediate manufacturer, will be retained by the licensing authority concerned,the other copy wihth similar authentication will be handed over to the Intermediate manufacturer for claiming export incentives, if any. These documents must be submitted within a period of 15 days from the date of such supplies. In case, the ultimate exporter or the Intermediate manufactuer is not in receipt of a licence on the date of such supplies, the documents must be submitted within a period of 15 days from the date of issue of the licence in question."
5.	70 (72)	CHAPTER–XX IMPORT EXPORT PASS BOOK SCHEME PARA 386(1)	(i) In the first sentence of this para, the words, "or for obtaining supplies from the intermediate manufacturer under the Inter-Mediate Advance Licensing Scheme", shall be deleted. (ii) In this Para, the following shall be added after the first sentence :—

(1)	(2)	(3)	(4)
			"In case of supplies obtained by an Import-Export Pass Book Licence holder from the Intermediate manufacturer under the Intermediate Advance Licensing Scheme, the Legal Undertaking to cover the supplies shall be executed by the licence holder under this Scheme after the entire supplies are received from the intermediate manufacturer."

5. The above amendments have been made in public interest.

6. The number in brackets in Col. 2 indicates the page number of the Import Export Policy and Hand Book of Procedures, as amended upto 31st March, 1989.

TEJENDRA KHANNA, Chief Controller of Imports & Exports.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989